राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2525/2021

कमल नागर

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग,
जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक : 21.11.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– शुभा मेहता, सदस्य(न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अपीलार्थी वरिष्ठ लिपिक/एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट द्वितीय राजमेष सोसायटी मुख्यालय, जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 26.07.2021 (अनुलग्नक–1) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी वरिष्ठ सहायक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटा, जो प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी मुख्यालय, जयपुर में कार्यरत है, की प्रतिनियुक्ति तुरन्त प्रभाव से समाप्त करते हुए उसे कार्यमुक्त कर निर्देशित किया गया कि वह अपनी उपस्थिति मूल पदस्थापन स्थान प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटा में प्रस्तुत करे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 19.04.2018 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को राजमेष सोसायटी मुख्यालय, जयपुर में एक्जीक्यूटिव एसिस्टेंट द्वितीय के सृजित पद के विरूद्ध नियमित नियुक्ति प्रदान करने तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया गया, परन्तु प्रत्यर्थी क्रम 2 द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 26.07.2021 (अनुलग्नक–4) द्वारा उसकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उसे कार्यमुक्त कर दिया गया है। यह आदेश विधि विरूद्ध है, क्योंकि जिस पद पर वह प्रतिनियुक्ति पर था वहां कोई नियमित नियुक्ति नहीं हुई है। उनका तर्क है कि उक्त आदेश के कारण से अपीलार्थी ने अपने परिवार को जयपुर में शिफ्ट किया था। उक्त सभी कारणों से आलोच्य आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया जाए।

इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि किसी भी कार्मिक को प्रतिनियुक्ति पर बिना ग्रहण विभाग की सहमति के रहने का अधिकार ही नहीं है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का परिवार तो पूर्व से ही जयपुर में निवास करता है, जैसाकि पत्र दिनांक 07.02.2017 (अनुलग्नक–5) से प्रमाणित है। उनका तर्क है कि आदेश दिनांक 26.07.2021 द्वारा राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी, कार्मिक (नियुक्ति एवं अन्य शर्ते) नियोजन नियम 6(4) के प्रावधानानुसार राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी, जयपुर मुख्यालय में रिक्त एक्जिक्यूटिव एसिस्टेंट द्वितीय के पद पर पुर्ननियोजित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिनियुक्ति समाप्त करके अपीलार्थी को कार्यमुक्त करने का आदेश स्थगित नहीं किया जा सकता है।

हमने विद्वान् अधिवक्तागण के तर्क सुने एवं अभिलेख का अध्ययन किया गया।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर स्वयं के विभाग, ग्रहण करने वाले विभाग और अपने स्वयं की सहमति से ही जा सकता है। वर्तमान मामले में ग्रहण करने वाले विभाग ने उसे कार्यमुक्त कर दिया है। अपीलार्थी ऐसा कोई नियम दर्शित नहीं कर सका है कि उसकी प्रतिनियुक्ति प्रत्यर्थी क्रम 2 द्वारा समाप्त नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया इस प्रक्रम पर प्रत्यर्थीगण के पक्ष को सुने बिना किसी प्रकार का कोई अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाना उचित नहीं

है। अतः अपील को ग्राह्य करने से पूर्व प्रत्यर्थीगण को नोटिस देकर, सुना जाना आवश्यक है।

प्रत्यर्थीगण को दिनांक 21.11.2022 ग्राहयता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी हो।

अपीलार्थी द्वारा दो सप्ताह के अंदर प्रत्यर्थीगण के नोटिस, अपील मय प्रलेख की प्रति प्रस्तुत किये जावे, नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थी के नोटिस अपीलार्थी के अभिभाषक को दस्ती दिये जावे।

पत्रावली दिनांक 21.11.2022 वास्ते ग्राह्यता जवाब एवं तामील समक्ष रजिस्ट्रार पेश हो।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(शुभा मेहता)
सदस्य (न्यायिक)

R